भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 817
दिनांक 25.07.2023/03 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध की जांच की उच्च लागत

†817. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साइबर अपराध के कई मामलों में पीड़ित उच्च जांच लागत, तो कभी-कभी नुकसान से अधिक होता है, और पर्याप्त सबूतों से अभाव में पंजीकरण के लिए नहीं आ रहे थे, जिससे धोखेबाजों को और अधिक हिम्मत मिलती है जिसके कारण साइबर अपराधों में वृध्दि हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कमियों को दूर करने और विभाग तथा पीड़ितों के लिए जांच की लागत को कम करने के लिए विनियामक ढ़ांचा तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क)से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।विधि प्रवर्तन एजेंसियां, साइबर अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही करती हैं।केंद्र सरकार, एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता संवर्धन के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 817, दिनांक 25.07.2023

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से एक व्यापक और समन्वित ढंग में निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना जिससे राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ पीड़ितों दोनों के लिए साइबर अपराध जांच की लागत कम हो सके,इनके लिए कदम उठायें हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

i. देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जांच)' स्थापित की गई है।

iii. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं परऑनलाइन पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेशन के माध्यम से सभी हितधारकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों के क्षमता निर्माण हेतु 'साइट्रेन' पोर्टल नामक एक वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

iv. जांच और अभियोजन का बेहतर ढंग से निपटान करने के लिए, विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अभिदेश दिया गया है। 36118 एलईए, 2022 न्यायिक अधिकारी और 2240 लोक अभियोजकों को गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और बीपीआरएंडडी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

v. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

vi. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है।साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

vii. "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)" स्कीम के तहत, जांच उपकरणों और जनशक्ति के संदर्भ में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को अनिवार्य रूप से विकसित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 122.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध की जांच की लागत को कम करना है।

viii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑनबोर्ड करके बहु-क्षेत्राधिकार के मुद्दों वाले साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को कवर करते हुए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों का गठन किया गया है।

ix. साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के मामलों में आवश्यक फोरेंसिक सहायता प्रदान करने, आईटी अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप साक्ष्य को संरक्षित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य)' की स्थापना हैदराबाद में की गई है और इससे टर्नअराउंड समय भी कम हुआ है।

x. गृह मंत्रालय ने 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' नामक स्कीम के अंतर्गत नवीनतम हथियार, प्रशिक्षण यंत्र, उन्नत संचार/फारेंसिक उपकरण, साइबर पुलिस व्यवस्था संबंधी उपकरण, आदि की खरीद हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की है।

*****